12 3/16 प्रा. पक्षकारों बहस सुनी गई। अपीलार्थ
की अपील स्वीकार की जाती है। विस्तृत
निर्णय अलग से लिखाया जाकर आदेश
प्रा. किया गया। प्रा. नक्कल से कार्यालय
आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर की जावे।

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर

राष्ट्रीय राजस्व लोक अदालत

पीठासीन अधिकारी :– बलवन्तसिंह लिग्री आर.ए.एस

राजस्व अपील सं0	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
01 / 2016	10.02.2016	12-03-2016

उनवान

1. रामपाल पुत्र रतीराम जाति अहीर निवासी ग्राम मैनावास त तहसील कोटकासिम जिला अलवर(राज0)

:– अपीलान्ट

बनाम

1. ग्राम **पंचायत कतोपुर** तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज0) द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत कतोपुर पं.सं.व तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।

:–रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध नामान्तकरण विरासत नामा0 सं0 330
ग्राम कतोपुर निर्णय दिनांक 18.03.2006

उपस्थित :–

1. श्री भगतसिंह अभिभाषक, अपीलान्ट

निर्णय

अपीलान्ट द्वारा एक अपील व प्रार्थनापत्र दफा 5 मियाद अधिनियम इस न्यायालय में पेश किये । प्रार्थनापत्र के तथ्य इस प्रकार है कि निर्णय दिनांक 21.12.2009 का सर्वप्रथम ज्ञान मिन अपीलान्ट को दिनांक 08.02.2016 को उस वक्त हुआ जब मिन अपीलान्ट ने किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिये हल्का पटवारी से नकल जमाबन्दी लेने गया जिस पर मिन अपीलान्ट ने दिनांक 09.02.2016 को हल्का पटवारी से नकल नामान्तकरण सं 330 की नकल प्राप्त की। वकील साहब से कानूनी सलाह ली जाकर अपील अपीलान्ट पेश की है। जो जानकारी से अवधि पेश है। फिर भी समय अवधि कन्डोन करने के लिये दफा 5 कानूनी मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र अलग से पेश किया है। अपील के तथ्य इस प्रकार है कि आज्ञा विद्वान ग्राम पंचायत कतोपुर विधि एवं तथ्यों के विपरीत परित की गई है क्योंकि आलोच्य नामान्तकरण मृतक कन्हैया पुत्र सम्पत जाति अहीर ग्राम मैनावास की विरासत का दर्ज वो स्वीकार हुआ है जिसमें मृतक कन्हैया के पुत्र केशूराम, धन्नों पुत्री, रामगिरी पुत्री, रामगिरी पुत्री, रतिराम के वारिसान मिन अपीलान्ट व मिन अपीलान्ट की बहनों अनीता, गीता, शीला व मिन अपीलान्ट की माताजी सोनादेवी के नाम दर्ज व स्वीकार हुआ। रतिराम के वारिसान मिन अपीलान्ट व मिन अपीलान्ट की बहनों अनिता, गीता, शीला व मिन अपीलान्ट की माताजी सोनादेवी है। मिन

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

अपीलान्ट का नाम रामपाल है। मिन अपीलान्ट के नाम से जो मतदाता पहचान पत्र व आधार कार्ड बना हुआ है। उसमें भी मिन अपीलान्ट का नाम रामपाल दर्ज है एवं मेरी माताजी सोनादेवी के नाम से जो राशनकार्ड सं 0009 बना हुआ है। उसमें भी मिन अपीलान्ट का नाम रामपाल है एवं मिन अपीलान्ट का रामपाल ही है इस बाबत ग्राम पंचायत कतोपुर के सरपंच ने भी प्रमाणपत्र जारी किया है मगर इस नामान्तकरण में मिन अपीलान्ट का नाम रामनिवास दर्ज कर दिया जिसे बिना कोई जांच किये व बिना नोटिस जारी किये अधिनस्थ ग्राम पंचायत ने स्वीकार करने में अहम गलती की है। मृतक रतीराम पुत्र कन्हैया के रामनिवास नामक कोई पुत्र संतान नहीं है बल्कि मिन अपीलान्ट रामपाल पुत्र रतीराम व मिन अपीलान्ट की बहनों अनिता, गीता, शीला व मिन अपीलान्ट की माता सोनादेवी ही है व काबिज है। ऐसी सूरत में इस आलोच्य नामा0 सं 330 में मिन अपीलान्ट का नाम रामनिवास के स्थान पर रामपाल किया जाना न्यायसंगत है। मिन अपीलान्ट का नाम रामनिवास रहने से मिन अपीलान्ट के हितों पर कुठाराघात होता है इसलिये अपने हकूकों की रक्षार्थ यह अपील हाजा पेश करना लाजिम आया हैं अतःअपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आज्ञा ग्राम पंचायत कतोपुर दिनांक 21.12.2009 बाबत नामान्तकरण सं 330 ग्राम मैनावास में शंसोधन किया जाकर रामनिवास के स्थान पर अपीलान्ट का नाम रामपाल दर्ज वो स्वीकार करने की आज्ञा दी जावे। इसी कदर हाल खसरा नम्बर 320/243 रकबा 0.81 हैक्टेयर वाके ग्राम मैनावास की राजस्व जमाबन्दीयात में भी नाम रामनिवास की जगह रामपाल दर्ज किया जावें।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया।

रेस्पोंडेन्ट की तामील होने के बावजूद भी उपस्थित नहीं हुऐ।

अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

अपीलान्टान के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपील विरुद्ध आज्ञा दिनांक निर्णय दिनांक 21.12.2009 का सर्वप्रथम ज्ञान मिन अपीलान्ट को दिनांक 08.02.2016 को उस वक्त हुआ जब मिन अपीलान्ट ने किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिये हल्का पटवारी से नकल जमाबन्दी लेने गया। समय अवधि कन्डोन करने के लिये दफा 5 कानूनी मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र अलग से पेश किया है। मिन अपीलान्ट का नाम रामपाल है। मिन अपीलान्ट के नाम से जो मतदाता पहचान पत्र व आधार कार्ड बना हुआ है। उसमें भी मिन अपीलान्ट का नाम रामपाल दर्ज है मगर इस नामान्तकरण सं 330 में मिन अपीलान्ट का नाम रामनिवास दर्ज कर दिया जिसे बिना कोई जांच किये व बिना

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

नोटिस जारी किये अधिनस्थ ग्राम पंचायत ने स्वीकार करने में अहम गलती की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आज्ञा ग्राम पंचायत कतोपुर दिनांक 21.12.2009 बाबत नामान्तकरण सं 330 ग्राम मैनावास में शंसोधन किया जाकर रामनिवास के स्थान पर अपीलान्ट का नाम रामपाल दर्ज वो स्वीकार करने की आज्ञा दी जावे। इसी कदर हाल राजस्व जमाबन्दीयात में भी नाम रामनिवास की जगह रामपाल दर्ज किया जावें। व देरीना अवधि माफ की जावे।

मेरे द्वारा अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया व पत्रावली में पेश किये दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। निर्णय ग्राम पंचायत के अवलोकन से पाया कि निर्णय पर वारिसानों के नामों की जांच के सम्बन्ध में कोई टिप्पणी/आधार अंकित नही किया है। अपीलान्ट का नाम गलत रामनिवास बिना जांच किये ही दर्ज व मन्जूर किया गया है। जबकि अपीलान्ट के द्वारा पेश किये दस्तावेजात परिवार राशनकार्ड, पहचान पत्र, आधारकार्ड में रामपाल पुत्र रतीराम दर्ज है। ग्राम पंचायत सरपंच का प्रमाणपत्र भी पेश किया गया हैं उसमें भी अपीलान्ट का नाम रामपाल पुत्र रतिराम ही बताया है। उक्त दस्तावेजात के अनुसार अपीलान्ट का नाम राजस्व रिकार्ड इंतकाल में रामनिवास कलमजन किया जाकर रामपाल दर्ज किया जाना न्यायोचित होगा व प्रार्थनापत्र दफा 5 स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत है।

आदेश

अपीलान्टान का प्रार्थनापत्र दफा 5 मियाद अधिनियम व अपील स्वीकार किये जाते है। ग्राम पंचायत कतोपुर का निर्णय दिनांक 21.12.2009 बाबत नामान्तकरण सं. 330 वाके ग्राम मैनावास तहसील कोटकासिम निरस्त किया जाता है। आलोच्य नामान्तकरण में रतीराम मृतक के वारिसानों में दर्ज रामनिवास को कलमजन किये जाने व सही नाम रामपाल दर्ज किये जाने आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति तहसीलदार कोटकासिम को पालनार्थ दी जाती है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर राष्ट्रीय राजस्व लोक अदालत खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बलवन्त सिंह लिम्री)
उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner